न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट ० सं३, कानपुर देहात।

उपस्थित – मौहम्मद तौसीफ रजा .....उ० प्र० न्यायिक सेवा ।

मु०सं० 586/2019

राज्य बनाम संजीव कुमार

….....अभियुक्त

अ०सं०१८/२००६

धारा २५आयुध अधिनियम

थाना सिकन्दरा , कानपुर देहात ।

<u>निर्णय</u>

अभियुक्त संजीव कुमार के विरूद्व पुलिस सिकन्दरा की पुलिस के द्वारा आरोप पत्र धारा २५ आयुध अधिनियम के अन्तगर्त पेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि दिनांक १.२.२००६को पुलिस पार्टी सुरक्षा गस्त पर मामूर थी मुखविर की सूचना पर समय करीब १६.०० बजे खोजाफूल थाना सिकन्दरा ,कानपुर देहात अन्तर्गत अभियुक्त को पकड़ लिया । पकड़े हुये व्यिक्त ने अपना नाम संजीव कुार पुत्र श्री नरायन कटियार निवासी खोजाफूलपुर थाना सिकन्दरा बताया तथा जमा तलाशी लेने पर उसके पास से एक अदद तमंचा ३१५ बोर व दो अदद कारतूस जिंदा ३१५ बोर बरामद हुये। जिसे रखने लाइसेंस नही था मौके पर फर्द बनायी गयी बरामद माल को सील मोहर किया गया व मय माल मुल्जिम को थाने लाकर दाखिल कर मुकदमा अ०सं०१८/२००६,धारा२५आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया । बाद विववेचना अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र धारा २५आयुध अधिनियम न्यायालय पस्तुत किया गया।

न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

अभियुक्त को न्यायालय तलब किया गया ।अभियुक्त ने न्यायालय आ कर अपनी जमानत करायी ।

अभियुक्त के विरूद्व धारा २५आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे उसने इन्कार किया गया है तथा विचारण की याचना की गयी है।

दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया है।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

दौरान परीक्षण अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चूंकि अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है।अतएव अभियुक्त के विरूद्व धारा २५ आयुध अधिनियम का आरोप साबित हो जाता है तथा अभियुक्त को धारा २५ आयुध अधिनियम में अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्व किया जाता है ।अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो ।

(मौहम्मद तौसीफ रजा)

दिनांक 25-02-22 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 3,

कानपुर देहात ।

J 0 Code – UP- 2079

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया । उसकी ओर से कथन किया गया कि वह बहुत बृद्व तथा गरीब व्यक्ति है । वह मुकदमा नहीं लड़ सकता है । अतः उसे उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये कम से कम सजा से दण्डित किया जाये ।

अभियुक्त द्वारा नाजायज तमंचा व कारतूस अपने पास बिना लाइसेंस रखे था जिसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है । अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म स्वीकार किया गया । अभियुक्त अत्यन्त कमजोर हो चुका है। पत्रावली अत्यन्त प्राचीन है। अतः अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिोण रखते हुये निम्न दण्ड से दण्डित करना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संजीव कुमार को धारा धारा २५ आयुध अधिनियम के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि एवं मु० १५००/-रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह की साधारण कारावास की सजा भुगतेगा अभियुक्त जमानत पर उसके जमानत नामें व निजीबंधपत्र निरस्त किया जाता हैं व जामिनदारों को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी ।

(मौहम्मद तौसीफ रजा)
दिनांक 25-02-22 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 3,
कानपुर देहात ।
J 0 Code – UP- 2079

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षिरत एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मौहम्मद तौसीफ रजा)
दिनांक 25-02-22 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 3,
कानपुर देहात ।
J 0 Code – UP- 2079